न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 66/2024 बउनवानी घनश्याम हरिजन **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर पुत्र श्री बाबूलाल हरिजन निवासी ग्राम शेषा तहसील मलारना डूँगर

GCMS No-2024/159

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	[illegible]
26.12.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 11.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *प्रार्थी के पिता बाबूलाल पुत्र नानगा हरिजन को ग्राम दिवाडा मे आवंटित भूमि ख0न0 1494/5 आवंटन आदेश, कब्जा रिपोर्ट, नई पुरानी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सहित जमा करवायी राशि 375 रू की रसीद की सूचना सहित कुल 5 बिन्दुओ की सूचना* " तहसीलदार मलारना डूँगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः रीडर/सू0अधि0/2024/736 दिनांक 17.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2024 में चाही गयी 5 बिन्दुओं की सूचना मे से बिन्दु संख्या 2 की सूचना तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक एलआर/2024/8020 दिनांक 5.11.2024 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 1,3,4 की सूचना तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने व बिन्दु संख्या 5 की सूचना से संबंधित रिकार्ड तलफ हो जाने के कारण उपलब्ध नही करवाया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन है कि उक्त आवंटित भूमि के नामा0 की नकल प्राप्त नही हुई है नामा0 की नकल दिलवायी जावे । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.10.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचनाओ मे से बिन्दु संख्या 2 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दुओ की सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील कार्यालय मलारना डूँगर मे उपलब्ध नही होने के कारण उक्त बिन्दुओ की सूचना अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:03:14 IST
Reason: SelfAttested